संख्या 4805पी/आठ-6-1739/77

प्रेषक,

श्री राधेश्याम माथुर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक: 5 दिसम्बर, 1977

विषय:- कर्तव्यपालन के दौरान मारे गये/घायल पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान समय में पुलिस के कठिन कर्तव्यों व दायित्वों को देखते हुए शासन यह अनुभव करता है कि जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी कर्तव्यपालन के दौरान आक्रमण का शिकार होने के परिणामस्वरूप मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं उनके परिवार को शासन द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाय ताकि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी यह अनुभव करें कि शासन उनके व उनके परिवार के हितों के प्रति जागरूक है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि डाकुओं, अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से मुठभेड़ में या उत्तेजित और हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करने के दौरान कर्तव्यपालन में लगी घातक चोटों के फलस्वरूप जो पुलिस कर्मचारी/अधिकारी मारे जायं या जिनकी मृत्यु हो जाय, के आश्रितों को 5,000/- रुपये की आर्थिक सहायता तथा उन्हीं परिस्थितियों में जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हो जायं उन्हें 2,500/- रू० तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । ऐसे प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता की स्वीकृति शासन द्वारा ही दी जायगी ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय मैदानी क्षेत्रों के सम्बन्ध में लेखा शीर्षक "255- पुलिस- आयोजनेतर-च-जिला पुलिस (1) (जिला पुलिस मुख्य-16-अन्य व्यय" तथा पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में लेखा शीर्षक "299-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र- पर्वतीय क्षेत्र-क-निदेशन तथा प्रशासन (6) पुलिस-2-जिला पुलिस (मुख्य)-15-अन्य व्यय" से वहन किया जायगा ।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-12//दस-3164 दिनांक 17 नवम्बर, 1977 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०/- राधेश्याम माथुर,
अनु सचिव

संख्या 4805(1)(पी/आठ-6-1739/77 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद (2) गृह (पुलिस) अनुभाग-3/4/7/8/11, (3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12

आज्ञा से,

इलाहाबाद ।

ह०/- राधेश्याम माथुर,
अनु सचिव

4

संख्या: सा-3-1340-दस-88-916-88

प्रेषक,

श्री बी०के० सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 1988

विषय:- विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते हुए विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज[असाधारण पेंशन] नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गई है। समय की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों एवं विकास की गति के साथ विशेष जोखिम के कार्यों का क्षेत्र काफी बढ़ गया है और इसके साथ ही ऐसी घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप विशेष जोखिम की निम्नलिखित परिस्थितियाँ हो सकती हैं:-

[1] डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़।

[2] विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष।

[3] आतंकवादियों तत्वों से मुठभेड़।

[4] हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय।

[5] दैवी आपदाओं जैसे बाढ़, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते हुए तथा अन्य आपातकाल यथा आग बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय।

[6] सक्रिय सेवा करते समय, उदाहरणत:-

[1] ट्रैफिक नियन्त्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में।

[2] मोटर गाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु।

[3] लेविल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु।

[4] प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु।

------2

2- उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकारी सेवकों द्वारा पूरी लगन और तत्परता के साथ सरकारी कार्यों का सम्पादन किये जाने तथा विशेष जोखिम भरे कार्यों से निपटने में सरकारी सेवकों का मनोबल बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसिज (असाधारण) पेंशन नियमावली में विशेष जोखिम के कार्यों के लिये उपलब्ध वर्तमान लाभों तथा तात्कालिक आर्थिक सहायता में समुचित वृद्धि किये जाने के लिये निम्नलिखित स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- कर्त्तव्य पालन के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी विशेष जोखिम की परिस्थितियों में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण सेवा में बनाये रखने के योग्य न रह जायें और अन्य किसी कार्य को करने में भी सक्षम न रहें तो ऐसे 100 प्रतिशत अक्षम हो गये घायल सेवकों को भी वही पेंशन दी जायेगी जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसिज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में अनुमन्य होती है। 100 प्रतिशत अक्षमता के लिये मेडिकल बोर्ड की संस्तुति/प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

2- सरकारी सेवकों की विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु पर उनके परिवार [illegible] को उपर्युक्त नियमावली के नियम 10 के शेड्यूल III-एक अंतर्गत तत्कालिक एवं [illegible] कालीन [illegible] के रूप में अनुमन्य उपादान (ग्रेच्युटी) के अतिरिक्त वर्ग 1, 2, 3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिये क्रमशः 50,000 रु0, 40,000 रु0, 30,000 रु0 एवं 20,000 रु0 अनुग्रह धनराशि के रूप में दिया जायेगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी एवं अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम रु0 41,000 व अधिकतम रु0 1,05,000 मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा।

श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि के भुगतान करने के लिए विभागाध्यक्ष प्राधिकृत किया जाता है तथा श्रेणी 1 व 2 के अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन के प्रशासकीय विभागों को प्राधिकृत किया जाता है।

(3) कर्त्तव्य पालन के दौरान जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। अभी केवल पुलिसजनों के लिये गृह (पुलिस) अनुभाग-6, के शासनादेश संख्या: 4805पी/अ/आठ-6-1739/77, दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 में रु0 2500 की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। अब उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए कर्त्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को रु0 5,000 (पांच हजार) की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी जिसे भु[illegible] करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा, किन्तु जो प्रशासकीय विभाग उचित समझें बिना वित्त विभागों की सहमति के यह अधिकार अपने विभागाध्यक्षों को दे सकते हैं परन्तु इसकी सूचना उन्हें वित्त (सामान्य अनुभाग-3/अथवा नियत वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग को भी देनी होगी।

4- उपर्युक्त सुविधायें इस आदेश के जारी होनेकी तिथि से देय होगी ।

5- उक्त मद संख्या 2।2। व 2।3। में स्वीकृत सुविधाओं के लिये आवश्यक प्राविधान संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने आय-व्ययक में करायेंगे । मद संख्या 2।1। के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज(असाधारण) पेंशन नियमावली के अंतर्गत प्राविधान उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से जारी किये जायेंगे ।

भवदीय,
वी०के० सक्सेना,
प्रमुख सचिव ।

संख्याः सा-3-1340।1।/दस-88-916-88

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- समस्त मंत्रालयके समस्त अनुभाग ।
3- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय ।
4- गोपन अनुभाग-1 को उनके आशासकीय पत्र संख्या 4/2/23/88-सी०।एक्स।, दिनांक 3 अगस्त 1988 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव ।

संख्या: 6066पी/आठ-6-88-172/88

प्रेषक,

एस0पी0 श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक: 29 दिसम्बर, 1988

विषय: कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: पर-2001-87 दिनांक: 29 नवम्बर, 1988 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभी तक गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या: 6003पी/आठ-6-1139/77 दिनांक 5-12-1977 में सरकारी ड्यूटी के समय कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने वाले केवल पुलिस कर्मी को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 2500/- रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारोपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: सा-3-1340/दस/88-316/88, दिनांक 19-8-1988 के द्वारा गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए कर्तव्य पालन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को रुपये 5000/- (पाँच हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- अतः शासन द्वारा गृह विभाग के अधीन कार्यरत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो सरकारी ड्यूटी के समय कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं। को रुपये 5,000/- (पाँच हजार रुपये) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में तत्काल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु (अधिकार) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रतिनिहित किया जाता है।

ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
ह0/-
(एस0पी0 श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 6066पी(1)/आठ-6-88-172/88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
(3) समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक
(4) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
(6) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
(7) गृह (पुलिस) विभाग के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,
(ह0/-
(एस0पी0 श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]
[illegible] पत्र सं0-12/88
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:-3239पी/छ:-पु-6-90-1744/90

प्रेषक,

पी0के0शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0 प्र0,लखनऊ ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 6 फरवरी,1991

विषय:-- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों से सम्बन्धित विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों व उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:सा-3-1340/दस-88-916-88,दिनांक 19 अगस्त,1988 के द्वारा घायलों को आर्थिक सहायता 100 प्रतिशत अक्षम को असाधारण पेंशन तथा मृतकों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि आदि दिये जाने की व्यवस्था की गई है । प्रदेश में शांति व्यवस्था की गुरुतर समस्या से निपटने में पुलिस कर्मियों को विशेष जोखिम की परिस्थितियों का सामना करते समय प्राणों की आहुति तक देनी पड़ती है । अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ऐसे विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अद्म्य साहस एंव विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि,जो वर्तमान में वर्ग-1/2/3 एंव 4 के सरकारी कर्मियों के लिये क्रमश: रु0 50,000/-, 40,000/-,30,000/- एंव 20,000/- है,को दोगुना किये जाने अर्थात क्रमश: 1,00,000/-,80,000/-,60,000/- एंव 40,000/-किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है । इस प्रकार केवल पुलिस कर्मियों के मामले में उ0प्र0 सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली के अन्तर्गत देय उपादान

एंव अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम 61,000 रु० व अधिकतम 1,50,000 रु० मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा ।

2- उक्त बढ़ी हुई दर पर अनुग्रह धनराशि केवल उन पुलिस कर्मियों के परिवारों को अनुमन्य होगी, जो पुलिस कर्मी विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस एंव कौशल का प्रदर्शन करने के फलस्वरुप वीरगति(मृत्यु) को प्राप्त होंगे । ऐसे अवसर/परिस्थितियाँ निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(1) डकैतों एंव बदमाशों से मुठभेड़ के समय

(2) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़ के समय

(3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय

(4) हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय ।

(5) दैवी आपदाओं जैसे-बाढ़, भूस्खलन, हिम स्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा-आग-बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय ।

3- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 1988 के प्रस्तर-(6) में उल्लिखित सक्रिय सेवा करते समय/विशेष जोखिम की परिस्थिति में मृत होने पर वित्त विभाग के उक्त वर्णित शासनादेश में निर्धारित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश में प्रदत्त सुविधा से लाभान्वित न होने वाले पुलिस कर्मियों पर पुरानी दर पर यथावत लागू रहेगी ।

4- इस दोगुनी दर पर एतद्द्वारा स्वीकृत यह अनुग्रह धनराशि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मामलें में अंतिम निर्णय ले लिये जाने के उपरान्त ही स्वीकार की जायेगी । इस समिति के सदस्यों में गृह सचिव, वित्त सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 होंगे ।

5- एतद्द्वारा स्वीकृत सुविधा इस आदेश के जारी होने की तिथि को या इसके पश्चात् घटित घटनाओं के सम्बन्ध में ही देय होगी ।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-सा-3-49/दस-1991 दिनांक 2-2-91 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
ह0/-
(पी0के0शर्मा)
संयुक्त सचिव

संख्या:3239§1§पी/छः-पु-6-90-1744/90, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

3- वित्त सामान्य अनुभाग-3

4- वित्त§व्यय नियन्त्रण§ अनुभाग-12

5- गृह§पुलिस§अनुभाग-1/7

आज्ञा से,
ह0/-
§पी0के0शर्मा§
संयुक्त सचिव ।

संख्या:-210 ...

प्रेषक,

श्री नरेश कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0 प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 3 फरवरी, 1994

विषय:- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आतंकवादियों से लड़ने के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि के भुगतान का प्रतिनिधायन पुलिस महानिदेशक को प्रत्यायोजित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:-3239पी/छः-पु-6-90-1744/90 दिनांक 6-2-1991 में आतंकवादियों से लड़ने के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर लेवल-1,2,3 एवं 4 के पुलिस कर्मियों के परिवारों को क्रमश: रु0 1,00,000/= रु0 80,000/= रु0 60,000/= एवं रु0 40,000/= की अनुग्रह धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त शासनादेश में संशोधनोपरान्त लेवल-3 एवं 4 के पुलिस कर्मियों को देय अनुग्रह धनराशि क्रमश: रु0 60,000/=, रु0 40,000/= का भुगतान स्वीकृत किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0। को शासनादेश संख्या: 3566 पी/छः-पु-6-93-1154/93 दिनांक 15-1-94 द्वारा अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं। किन्तु लेवल-1 व 2 के पुलिस अधिकारी के मृत्यु की दशा में उक्त शासनादेश दिनांक 15-1-94 में देय अनुग्रह धनराशि को स्वीकृत करने के लिए गृह सचिव/गृह विभाग को अधिकृत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में देय अनुग्रह धनराशि के भुगतान में होने वाली अनावश्यक विलम्ब के निवारण हेतु सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 15-1-94 को संशोधित करते हुए लेवल-1 व लेवल-2 के अधिकारियों को देय अनुग्रह धनराशि क्रमश: रु0 1,00,000/= (एक लाख रुपये) व रु0 80,000/= (रुपये अस्सी हजार) स्वीकृत करने के लिए विभागाध्यक्ष। पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0। को प्रतिनिधानित कर दिया जाय। अत: श्री राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15-1-94 के प्रस्तर-1 को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित ...

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि बेनीफिट फंड से दी जाने वाली आर्थिक सहायता पूर्ववत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।

4- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

5- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-215/दस-1994 दिनांक 3-2-1994 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नरेश कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव।

संख्या:2101(1)/छः-पु-6-94-1154/1993 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1/2, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5- वित्त (लेखा नियंत्रण) अनुभाग-12
6- गृह (पुलिस) अनुभाग-1,4,व 12

आज्ञा से,

(नरेश कुमार गुप्ता)

प्रतिलिपि श्री ओ०एन० सिंह, उप सचिव, उ०प्र० शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-6, के शासनादेश संख्या: 3566पी/6-पु-6-93-1150/1993 दिनांक 15-1-1994, जो पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को सम्बोधित था, [illegible] को पृष्ठांकित किया है।

विषय:- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्यों के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

---x---

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3239पी/6:-पु-6-90-1766/90 दिनांक 6-2-1991 में जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर श्रेणी-1/2/3 एवं 4 के पुलिस कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि क्रमशः रु० 1,00,000/-, 80,000/-, 60,000/- एवं 40,000/- स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 6-2-1991 के प्रस्तर-4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी धनराशि स्वीकार करने एवं मृतक के आश्रितों को उसका भुगतान होने में अधिक समय लगता है, इसलिये इस कठिनाई के निवारण हेतु विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: बी-3-1310/दस-88-916/88 दिनांक 19-8-1988 के प्रस्तर-2 (2) [illegible] व्यवस्था शासनादेश दिनांक 6-2-91 द्वारा आच्छादित मामलों में भी लागू की जाय। उक्त व्यवस्थानुसार श्रेणी-3 तथा 4 के कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्यों के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर उनके परिवार को क्रमशः रु० 60,000/-, 40,000/- की अनुग्रह धनराशि का भुगतान तत्काल [illegible] किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष, सक्षम होंगे। [illegible] तथा 2 के अधिकारियों की ऐसी दशा में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को क्रमानुसार रु० 1,00,000/- तथा 80,000/- स्वीकृत करने हेतु सचिव, गृह विभाग सक्षम होंगे। अतः राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 6-2-91 के प्रस्तर-4 को तदनुसार संशोधित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह स्पष्ट किया जाता है कि आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में दी जाने वाली रु० एक लाख की अनुग्रह धनराशि /बेनीवोलेंट फण्ड से स्वीकार की जाने वाली रु० एक लाख की आर्थिक सहायता पूर्ववत् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी और उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्रक्रिया इन मामलों में लागू नहीं होगी।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-12/079/x-94 दिनांक 14-1-94 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०/-

ओ०एन० सिंह

उप सचिव।

संख्या 4303पी/छः-पु-3-6-99-1138/99

प्रेषक,

श्री कृष्णकुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवामें,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 3 दिसम्बर, 1999

विषय:- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3235पी/छः-पु-6-90-1744/90 दिनांक 6 फरवरी 1991 तथा शासनादेश संख्या 3566पी/छः-पु-6-93-1154/93 दिनांक 15 जनवरी 1994 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों से सम्बन्धित विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों व उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:सा-3-1340/दस-88-916/88 दिनांक 19 अगस्त 1988 के द्वारा घायलों को आर्थिक सहायता 100 प्रतिशत अपंग को असाधारण पेंशन तथा मृतकों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि आदि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है । प्रदेश में शान्ति व्यवस्था, ... से निपटने में पुलिस कर्मियों को विशेष जोखिम की परिस्थितियों का सामना करते समय प्राणों की आहुति तक देनी पड़ती है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ऐसे विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुये दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 6 फरवरी, 1991 द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि, जो वर्तमान में वर्ग-1/2/3 एवं 4 के सरकारी कर्मियों के लिये क्रमशः रुपये 1,00,000/=, 80,000/=, 60,000/= एवं 40,000/= को दो गुना किये जाने अर्थात क्रमशः रु0 2,00,000/=, 1,60,000/=, 1,20,000/= एवं रु0 80,000/= की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा उसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी । शेष शर्तें उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित यथावत रहेंगी ।

3- यह आदेश वित्त विभाग को अशासकीय संख्या:जी-3-1127/दस-99- दिनांक 25.11.99 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/- कृष्णकुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव ।

संख्या:4303(1)पी/छः-पु-6-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- गृह (पुलिस) अनुभाग 1,4,7 व 12
7-- गार्ड फाइल

आज्ञा से,
ह0/ कृष्ण कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव ।

संख्या:2624पी/छ:पु-6-2000-1198/99

13

प्रेषक,

श्री रूद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-6

लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर 2000

विषयः पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3239पी/छ-पु-6-90-1744/90 दिनांक 6 फरवरी 1991 तथा शासनादेश संख्या-3566पी/छ-पु-6-93-1154/93 दिनांक 15 जनवरी 1994 एवं शासनादेश संख्या-4343पी/छ-पु-6-99-1198/99 दिनांक 3 दिसम्बर 1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री सत्यपाल सिंह, जोखिम पूर्ण कार्य में अत्यन्त साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 3 दिसम्बर 1999 द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि जो वर्तमान में वर्ग-1/2/3/4 के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए क्रमशः रू0 2,00,000/- (दो लाख) रू0 1,60,000/- (रू0 एक लाख साठ हजार मात्र) रू0 1,20,000/-(रू0 एक बीस हजार) एवं रू0 80,000/-(रू0 अस्सी हजार मात्र)अनुमन्य है, के स्थान पर मृत पुलिस कर्मियों के पारिजनों को चार श्रेणियों में विभाजित करनें के बजाय एक ही श्रेणी में मानते हुए अर्थात बिना श्रेणी भेदभाव के उन्हे प्रदान की जाने वाली अनुग्रह धनराशि रू0 2,50,000/ (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश जारी होने की तिथि तथा इसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी।उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेगी ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-सा-3-/1133/दस-2000 दिनांक 24-11-2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
हस्ताक्षर अपठनीय,
रूद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव ।

संख्या:2624(1)पी/छ:-पु-6-2000-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट।

2-महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3-अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद ।

4-वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 (पांच प्रतियों में) ।

5-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2

6-वित्त(व्यय-नियत्रंण)अनुभाग-12

7-गृह(पुलिस)अनुभाग-1,2,7 व 12

8-गृह(पुलिस)सेवायें अनुभाग-1/2

9-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर अपठनीय

रूद्र कुमार गुप्ता

संयुक्त सचिव ।

संख्या3382पी/छ-पु-6-2001/1198/99 14

प्रेषक,

श्री रुद्रकुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 09 नवम्बर, 2001

विषयः- पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3239 पी/छ-पु-6-90-1744/90 दिनांक 6 ... 1991 तथा शासनादेश संख्या 3566 पी/छ-पु-6-93-1154/93 दिनांक 15 जनवरी 1994 शासनादेश संख्या 4343पी/छ-पु-6-99-1198/99 दिनांक 3 दिसम्बर 1999 एवं शासनादेश संख्या 2624 पी/छ-पु-6-2000-1198/99 दिनांक 29 नवम्बर 2000 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुये दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त शासनादेश दिनांक 29-11-2000 द्वारा अनुमन्य रुपये 2,50,000/-(रु0 दो लाख पचास हजार मात्र)को बढ़ाकर रु0 5,00,000/-(रु0 पांच लाख मात्र)किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि का शासनादेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा इसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी । उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या सा-3-1762/दस-2001 दिनांक 8 नवम्बर 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
हस्ताक्षर/- रुद्र कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव ।

संख्या 3382(1)पी/छ-पु-6-2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद ।
4. वित्त सामान्य अनुभाग-3 (5 प्रतियां)
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
7. गृह पुलिस अनुभाग 1/2/7 व 12
8. गृह पुलिस सेवायें अनुभाग 1/2
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
रुद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव ।

संख्या:3590पी/छ:-पु-6-05-1198/99

20

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2005

विषय: पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि ।

—

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3239पी/छ:-पु-6-90-1744/90, दिनांक 6 फरवरी, 1991, शासनादेश संख्या 3566पी/ए:-पु-6-93-1154/93, दिनांक 15 जनवरी, 1994, शासनादेश संख्या 4343पी/छ:-पु-6-99-1198/99, दिनांक [illegible] नवम्बर, 1999, शासनादेश संख्या 2624पी/छ:-पु-6-2000-1198/99, दिनांक 29.11.2000, तथा शासनादेश संख्या 3382पी/छ:-पु-6-2001-1198/99, दिनांक 9.11.2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवगंत पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त शासनादेश दिनांक 9 नवम्बर, 2001 द्वारा अनुमन्य अनुग्रह धनराशि रू0 5,00,000/-(रूपये पाँच लाख मात्र) को बढ़ाकर रू0 10,00,000/-(रूपये दस लाख मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 से तथा उक्त तिथि के पश्चात् होने वाली घटनाओं में देय होगी । उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेगी ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या सा-3-1182/दस-2005, दिनांक 5.12.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

ह0/- 5/12/05
(कमल सक्सेना)
विशेष सचिव ।

संख्या:3590(1)पी/छ:पु-6-05, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

क्रमशः..2

21(11)

संख्या:3669पी/छ:-पु-6-05-1198/22

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 6 दिसम्बर, 2005

विषय: नक्सली प्रभावित जनपदों में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने के फलस्वरूप अनुग्रह राशि को आर्थिक सहायता दिए जाने की सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या बारह/ए-अनु0धन-2004, दिनांक 8 जुलाई, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत पुलिस कार्मिकों के परिवारों को शासनादेश संख्या 3590पी/छ:-पु-6-05-1198/99, दि0 5 दिसम्बर, 2005 के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि रू0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) नक्सली आतंक में मारे गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित परिवार को भी देय होगी ।

भवदीय

ह0/6/12/05
(कमल सक्सेना)
विशेष सचिव ।

संख्या 3669(1)पी/छ:-पु-6-05-1दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/आडिटप्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3. वित्त(सामान्य)अनुभाग-3
4. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
5. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2
6. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-12
7. गृह(पुलिस)अनुभाग-1/2/7/10
8. गृह(पुलिस सेवायें)अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

ह0/6/12/05
(कमल सक्सेना)
विशेष सचिव ।

22

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्याःसा–3–1287 / दस–2010
लखनऊ : दिनाँक : 28 जुलाई, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय सरकारी सेवकों की मृत्यु पर उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम–10 सपठित शासनादेश संख्या–सा–3–1340 / दस–88–910 / 88, दिनाँक 19 अगस्त, 1988 के प्रस्तर–2 में वर्ग 1,2,3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिए क्रमशः रू0 50,000 / –, रू0 40,000 / –, रू0 30,000 / – एवं रू0 20,000 / – अनुग्रह धनराशि के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है।

2– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01–01–2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1508 / दस–2008, दिनाँक 08–12–2008 के प्रस्तर–9 की व्यवस्थानुसार दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से अनुग्रह धनराशि की दरें निम्नानुसार संशोधित की जा चुकी है:–

		रूपया
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	10,00 लाख
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुयी मृत्यु	10,00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं / अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15,00 लाख
(घ)	अति दुर्लभ पहाड़ी ऊचाँइयों / दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	15,00 लाख

उक्त कार्यालय–ज्ञाप में यह व्यवस्था भी की गयी है कि संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3– तदनुसार शासनादेश दिनाँक 19–08–88 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–1287(1) / दस–2010, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त सचिव / प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0 सचिवालय।
4– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7– समस्त कोषागार, उ0प्र0।

आज्ञा से,

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या 588 पी/छ:-पु0-6-12-1198/99
लखनऊ, दिनांक 22 जून, 2012

कार्यालय -ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि से जाने विषयक शासनादेश संख्या 3590 पी/छ-पु-6-05-1198/99, दिनांक 5 दिसम्बर में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को रू0 10,00,000/-(रू0 दस लाख मात्र) धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।

2- उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुए वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा जारी ज्ञाप संख्या सा-3-1287/दस-2010, दिनांक 28-7-2010 में निहित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी,2006 से नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में उनके सम्मुख अंकित दर पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को भी देय होगी :-

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	रू0 10,00,000
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी/ अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप हुई मृत्यु होने पर	रू0 10,00,000
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं अथवा तस्कर/आतंकवादियों अथवा अलिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रू0 15,00,000
(घ)	अति दुर्लभ पहाड़ी ऊचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	रू0 15,00,000

3- उक्त शासनादेश दिनांक 6-12-2005 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा शर्तें यथावत रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अनौपचारिक संख्या सा-3- 392/दस- 2012, दिनांक 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
सचिव, गृह विभाग।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या सीएम-134 पी/छः-पु0-6-14-100(9)/14
लखनऊ, दिनांक 10 सितम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 588 पी/छः-पु-6-12-1198/99, दिनांक 22-6-2012 में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित घटनाओं में उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित अनुग्रह धनराशि अनुमन्य है।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22-6-2012 को संशोधित करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि के स्थान पर स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि मृतक के आश्रितों को दिनांक 22-8-2014 से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र. सं. 1	घटना 2	पूर्व में अनुमन्य धनराशि 3	वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाली धनराशि 4
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	रू0 10,00,000/-	रू0 20,00,000/-
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रू0 10,00,000/-	रू0 20,00,000/-
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट-पुट घटनाओं अथवा लद्दाख/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रू0 15,00,000/-	रू0 20,00,000/-
(घ)	अति दुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	रू0 15,00,000/-	रू0 20,00,000/-

--2/--

3— उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट-पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/ आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप प्रदेश के बाहर मृत्यु हो जाय तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासियों जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत हों तथा जिनकी कर्तव्यपालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाय, उनके आश्रितों को भी उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित अनुग्रह धनराशि दिनांक 22-8-2014 से स्वीकृत किये जाने का भी एतद्द्वारा सक्षम निर्णय लिया गया है।

4— यह आदेश दिनांक 22-8-2014 से प्रभावी होगा।

5— उक्त शासनादेश दिनांक 22-6-2012 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

संजीव अग्रवाल
सचिव।

संख्या सीएम-134 (1) पी/छ:-पु0-6-14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
3— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5— वित्त (आय व्यय) अनुभाग-2
6— वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12
7— गृह (पुलिस) अनुभाग-1/2/7/10
8— गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1/2
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(के0एल0 वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या- सी0एम0- 102पी/छ-पु- 6- 16- 100(09)/2014

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र

सचिव, गृह

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग 6

लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर 2016

विषय:- पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस व विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने के दौरान मृत्यु होने पर उनके माता-पिता को अनुग्रह धनराशि रू0 5.00 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या- सी0एम0-134पी/छ-पु0-6-16-100(9)2014 दिनांक 10-09-2014 द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस व विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि रू0 20.00 लाख की अहेतुक सहायता उनके आश्रितों को उपलब्ध करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहीद/मृतक के बृद्ध माता-पिता को दैनिक जीवनयापन मे आ रही कठिनाई के निराकरण के उद्देश्य से पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस व विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने के दौरान मृत्यु होने पर रू0 20.00 लाख की दी जा रही अनुग्रह धनराशि के अतिरिक्त रू0 5.00 लाख की अहेतुक धनराशि शहीद/मृतक के आश्रित माता पिता को स्वीकृत किये जाने का भी एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है।

2 इस प्रकार के प्रकरणों मे किसी परिस्थिति विशेष के दौरान अनुग्रह धनराशि हेतु निर्धारित दरो से अधिक अनुदान स्वीकृत करने का औचित्य पाये जाने की स्थिति मे निर्धारित दरो से अधिक अनुदान स्वीकृत करने के लिए मा0 मुख्यमत्री जी अधिकृत होंगे। साथ ही उपर्युक्त व्यवस्था मे किसी परिवर्तन की आवश्यकता पाये जाने की स्थिति मे यथोचित निर्णय हेतु मा0 मुख्यमत्री जी सक्षम स्तर होगें।

3 यह आदेश दिनांक 21-11-2016 से प्रभावी होगा।

4 उक्त शासनादेश संख्या- सी0एम0-134पी/छ-पु0-6-16-100(9)2014 दिनांक 10-09-2014 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)

सचिव।

संख्याः–सी0एम0–102(1)पी/छः–पु0–6–16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
6– गृह(पुलिस) अनुभाग–1/2/7/10
7– गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग–1/2
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
उप सचिव।

प्राथमिकता / फैक्स

संख्या 356 पी / छ–पु–6–17–100(9) / 14

प्रेषक,

के०एस० वर्मा

उप सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक

उ०प्र० पुलिस मुख्यालय

इलाहाबाद।

अपर पुलिस महानिदेशक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद

1395

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 07 जुलाई 2017

विषय केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों / अन्य प्रदेशों के अर्द्धसैन्य बलों अथवा भारतीय सेना के शहीद जवानों के आश्रित माता पिता को अहेतुक धनराशि रू0 05 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: कल्याण 12ए–150(शहीद) / 2017 दिनांक 28.04.17 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों / अन्य प्रदेशों के अर्द्धसैन्य बलों जो उत्तर प्रदेश में शहीद हुए हैं अथवा भारतीय सेना के शहीद जवानों के आश्रित माता–पिता को भी मृत / शहीद पुलिस कर्मियों के समान परिस्थितियों में अहेतुक धनराशि रू0 05 लाख की प्रदान किये जाने अथवा नहीं के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सीएम–102पी / छः–पु–6–16–100(9) / 14 दिनांक–20.12.2016 के अनुसार मृतक / शहीद पुलिसकर्मी एवं सैन्य बलों के शहीद कार्मिकों के आश्रित माता–पिता को समान रूप से धनराशि रू0 05 लाख की अहेतुक सहायता दी जाय।

भवदीय,

(के०एस० वर्मा)

उप सचिव।

Imp.

For n.a. plz

Ac

08/7/2017

(SO)

उत्तर प्रदेश शासन

गृह पुलिस अनुभाग–06

संख्या--1046पी / छ–पु–6–17–100(9) / 2014

लखनऊ: दिनांक 20 अक्टूबर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या सी0एम0–134पी / छ– पु0–6–14–100(9) / 2014 दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश संख्या--सी0एम0–102पी / छ–पु0–6–16–100(9) / 2014 दिनांक 20.12.2016 में मृतक पुलिस कार्मिको के आश्रितो को निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित घटनाओं के उनके सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित धनराशि अनुमन्य है।

2– शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश दिनांक 20.12.2016 को संशोधित करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित धनराशि के स्थान पर स्तम्भ--4 मे अंकित धनराशि मृतक पुलिस कार्मिको के आश्रितो को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है–

1	2	3		4	
क्र0 सं0	घटना	पूर्व में अनुमन्य धनराशि		वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाली धनराशि	
		मृतक की आश्रित पत्नी को देय अनुग्रह धनराशि	मृतक के आश्रित माता–पिता को अहेतुक धनराशि	मृतक के आश्रित पत्नी को देय अनुग्रह धनराशि	मृतक के आश्रित माता–पिता को अहेतुक धनराशि
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है।	20.00 लाख	5.00 लाख	20.00 लाख	5.00 लाख
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियो में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय [illegible] सीमा पर [illegible]-युद्ध [illegible]	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख

	घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर				
(घ)	अतिदुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होने पर	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख

3– यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संशोधित दरें केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों के आश्रितों/माता–पिता को देय अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में ही लागू होगी. सेना/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के सम्बन्ध में उक्त संशोधित दरें लागू नही होगी।

4– उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–1046(1)पी/छ–पु–6–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
3– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12
8– गृह(पुलिस) अनुभाग–1/2/7/10
9– गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग–1/2
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
अनुसचिव

Fax/Email.

उत्तर प्रदेश शासन
साम्प्रदायिकता नियन्त्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग
संख्या–03के / छ:–सानिप्र–19–15(37) / 2018
लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों को कर्त्तव्य पालन के दौरान निम्नांकित परिस्थितियों में घटित घटना में अपंग / दिव्यांग होने पर निम्नवत अनुग्रह आर्थिक सहायता स्वीकृत / वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क्र0सं0	परिस्थितियाँ	दिव्यांगता प्रतिशत में	स्वीकृत की जाने वाली अनुग्रह धनराशि
1	कर्तव्यपालन के समय प्रदेश के अन्दर अथवा बाहर आतंकवादी / अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा / मुठभेड़ के फलस्वरूप पुलिस कर्मियों के अपंग / दिव्यांग होने पर एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के राहत एवं बचाव कार्य के दौरान अपंग / दिव्यांग होने पर	80% से 100% तक	₹-20,00,000.00
		70% से 79% तक	₹-15,00,000.00
		50% से 69% तक	₹-10,00,000.00

2– उपरोक्तानुसार स्वीकृत / वितरित की जाने वाली अनुग्रह आर्थिक सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

(1) घटित घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हो।

(2) अपंग / दिव्यांग होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित रूप से विकलांगता प्रतिशत अंकित किया गया हो।

(3) उत्तर प्रदेश, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के अपंग / दिव्यांग होने की स्थिति में यदि सेवानिवृत्त किया जाता है, तो प्रस्तगत अनुग्रह आर्थिक सहायता सेवानिवृत्तिक लाभ के अतिरिक्त होगी।

3– उक्त निर्धारित की गई सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी प्रकार की छूट अथवा उपर निर्धारित की गई सीमाओं को शिथिल करने से पूर्व शासन के गृह विभाग से उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4– पुलिस कर्मियों के अपंग / दिव्यांग होने पर उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज तथा अग्निशमन सेवा के कर्मियों के अपंग / दिव्यांग होने पर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

5– उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

6– शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज द्वारा सम्बन्धित जनपद को तत्काल बजट आवंटन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव, गृह

2087
22-11-24

Fax / Email

6-19/ अनुभाग-19-home department

I/799442/2024

उत्तर प्रदेश शासन
साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ
संख्या-1277/छः-सानिप्र-24-15(25)/2018
लखनऊः दिनांक 19 नवम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर शासनादेश संख्या-सी०एम०-134पी/छः-पु०-6-14-100(9)/2014, दिनांक 10-09-2014, शासनादेश संख्या-सी०एम०-102पी/छः-पु०-6-16-100(9)/2014, दिनांक 20-12-2016 एवं शासनादेश संख्या-1046पी/छः-पु-6-17-100(9)/2014, दिनाक 20.10.2017 के द्वारा मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उ०प्र० पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की कर्तव्यपालन के दौरान/विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित पत्नी एवं आश्रित माता-पिता को अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किए जाने संबंधी शासनादेश संख्या-1046पी/छः-पु०-6-17-100(9)/2014, दिनाक 20.10.2017 को संशोधित करते हुए मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल प्रभाव से अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1)

1	2	3	
क्र० स०	घटना	मृतक की पत्नी को देय अनुग्रह धनराशि	मृतक के माता पिता को देय अनुग्रह धनराशि
(क)	कर्तव्य पालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु होने पर	20.00 लाख	05.00 लाख
(ख)	आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट-पुट घटनाओं अथवा लडाकू/ आतंकवादियो अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप व अतिदुर्लभ पहाड़ी ऊँचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होने पर।	40.00 लाख	10.00 लाख

(2) माता-पिता में से किसी के भी जीवित न रहने पर सम्पूर्ण धनराशि (रू० 25.00 लाख/रू० 50.00 लाख) मृतक पुलिस कार्मिक की पत्नी को प्रदान की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक (भवन/कल्याण)
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ

(3) मृतक पुलिस कार्मिक की पत्नी के जीवित न होने पर सम्पूर्ण धनराशि (रू० 25.00 लाख/ रू० 50.00 लाख) मृतक के माता-पिता को प्रदान की जाएगी।

(4) मृतक पुलिस कार्मिक की पत्नी व माता-पिता के जीवित न होने पर सम्पूर्ण धनराशि (रू० 25.00 लाख/रू० 50.00 लाख) मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान की जाएगी।

(5) मृतक पुलिस कार्मिक के विवाहित महिला होने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि (रू० 25.00 लाख/रू० 50.00 लाख) उसके पति(Spouse) को, यदि पति जीवित न हो, तो मृतका के कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान की जाएगी।

(6) मृतक पुलिस कार्मिक के अविवाहित होने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि (रू० 25.00 लाख/रू० 50.00 लाख) मृतक के माता-पिता को प्रदान की जाएगी।

3. उक्त आदेश केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों के संबंध में ही लागू होगा। सेना/केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के संबंध में यह आदेश लागू नहीं होगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त पुलिस आयुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ऑडिट प्रथम, इलाहाबाद।
7. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. वित (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-12
10. गृह (पुलिस) अनुभाग-1/2/7/8/10
11. गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1/2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Virendra Kumar Singh
Date: 19-11-2024 13:01:59